

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री किशन पुरोहित (एडवोकेट) पता-चेम्बर नम्बर-114, जिला एवं सेशन न्यायालय
परिसर, जिला उदयपुर

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 79/2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 26.09.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये क्रमांक :- सू0अ,05/2024/827 दिनांक 18.09.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील श्रीमान् को प्रस्तुत की गई है, जो इस कार्यालय को दिनांक 29.08.24 को इस कार्यालय में प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार राजसमन्द के अधिकार की होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) का प्रार्थना पत्रांक 607 दिनांक 15.07.2024 द्वारा भिजवाया गया था। तहसीलदार राजसमन्द के पत्रांक 5000-501 दिनांक 05.09.2024 द्वारा प्रार्थी श्री किशन पुरोहित एडवोकेट को चाही गई सूचना उपलब्ध कराते हुए पालना रिपोर्ट इस कार्यालय प्रस्तुत की गई। अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करा दिये जाने से श्रीमान् के यहां प्रस्तुत अपील में कोई शेष नहीं होने से प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज करने का श्रम करावे।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द कि रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा प्रार्थी को चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द, को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

